



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300221

DISTRICT NAME :टिहरी गढ़वाल SRO :जायगीधार

UKPDE2024090300221

From 16 Feb 2023

19-Mar-2024

10:52:24AM

Appointment Date: 19 Mar 2024

Appointment Time:01:30 p.m to 02:30 p.m

Appointment TokenNo:2

Deed/Article Type Lease

Sub-Deed/Sub-Article Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index खान्सी -B 4 जायगीधार-मराकोट मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList खान्सी -B 4 जायगीधार-मराकोट मोटर मार्ग

Khewat:

Khatoni

:00030 00006 00001 00023 00012

Khasra House/Flat No :365 367 245 247 243 242 268 244

Area :3,000.0000 वर्ग मीटर

Latitude

Longitude 0.0000000000

Land Value :0.00

Construction Value :0.00

Transaction Value :0.00

Market Value :0.00

Advance :0.00

Lease Period :27.00

Avg. Rent

:5,730.27

Stamp Duty :8,300.00

Regn Fees :4,140.00

Pasting Fees :100

Page :30

व्यवसायिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार				
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र. सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	प्लान वर्ग	रकबा
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	4,140.00			
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टॉप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	8,300.00		19-Mar-2024	15

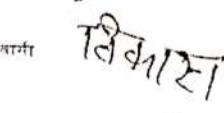
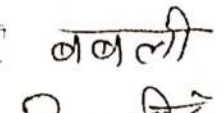
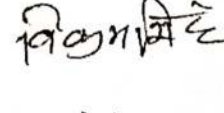
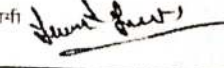
व्यवली

विकास
लार सिंह

Appointment Date: 19 Mar 2024

Appointment Time: 01:30 p.m to 02:30 p.m

Appointment Token No: 2

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विपक्ष / प्रथम पक्ष	श्री वीरबल मिश्र पुत्र श्री मधुसूत कुमार निवासी ग्राम-खान्डी, पट्टी-ग्राम, नरसीन-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल		Self employed		9627522490	ADHAAR : 588359915105
विपक्ष / प्रथम पक्ष	श्रीमती कीर्ती देवी पत्नी श्री हरि राम पुत्र श्री रमेश्वरी निवासी ग्राम-खान्डी, पट्टी-ग्राम, नरसीन-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल		House wife		9560983348	ADHAAR : 993027704166
विपक्ष / प्रथम पक्ष	श्री सुखदेव मिश्र पुत्र श्री मन्मथ मिश्र निवासी ग्राम-खान्डी, पट्टी-ग्राम, नरसीन-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल		Self employed		9718123545	ADHAAR : 493532279535
विपक्ष / प्रथम पक्ष	श्री प्यार मिश्र पुत्र श्री पूर्ण मिश्र निवासी ग्राम-खान्डी, पट्टी-ग्राम, नरसीन-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल		Self employed		6399529239	ADHAAR : 663822173885
विपक्ष / प्रथम पक्ष	श्री विकास स्वामी पुत्र श्री माधवानन्द निवासी ग्राम-खान्डी, पट्टी-ग्राम, नरसीन-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल		Self employed		9084424742	ADHAAR : 552609349306
पक्ष / द्वितीय पक्ष	श्रीमती वसुन्धी पत्नी श्री कुशलजीव निवासी ग्राम-शरद्विन, पोस्ट-ममलौर, गोकुल, हरिद्वार उत्तराखण्ड		House wife		8650144618	ADHAAR : 906149734486
गवाह	श्री विक्रम मिश्र पुत्र श्री ज्ञान मिश्र निवासी ग्राम-खान्डी, पट्टी-ग्राम, नरसीन-जायसीधर, जिला-दिल्ली गढ़वाल		Self employed		9897501756	ADHAAR : 460529151389
गवाह	श्री सुशिल मेनो पुत्र श्री मनीश कुमार निवासी 85, निजामपुर, हरिद्वार जिला-हरिद्वार		Self employed		9675988009	ADHAAR : 278921295430

Deed Writer / Advocate Name : D.Dumoga Adv.



प्यार सिंह विकास



वसुन्धी

भारत सरकार
Government of India

वीरबल सिंह
Veerbal Singh
जन्म तिथि/DOB: 01/08/1963
पुरुष/MALE

5883 5991 5105
VID : 9171 4170 8006 3659
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

पता:
श्री. भोल सिंह, खंडी मय मरोडा, खंडी मय काफली,
देहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड - 249123

Address:
C/O: Bhol Singh, Khandi may maroda,
Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

5883 5991 5105
VID : 9171 4170 8006 3659

भारत सरकार
Government of India

किडी देवी
Kidi Devi
जन्म तिथि/DOB: 25/02/1951
महिला/Female

9930 2770 4166

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

पता:
W/O हरी राम, पता-मकान नं०-325,
ब्लॉक नं०-21, त्रिलोक पुरी,
पटपगंज, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली,
110091

Address:
W/O Hari Ram, Add-H NO-325,
Block NO-21, Trilok Puri,
Patparganj, East Delhi, Delhi,
110091

9930 2770 4166

भारत सरकार
Government of India

गुलब सिंह
GULAB SINGH
जन्म तिथि/DOB: 19/12/1969
पुरुष/MALE

4935 3227 9535
VID : 9146 8590 8504 8699
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

पता:
श्री. चन्दन सिंह, खंडी मय मरोडा, खंडी मय काफली,
देहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड - 249123

Address:
C/O: Chandan Singh, Khandi may maroda,
Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

4935 3227 9535
VID : 9146 8590 8504 8699

भारत सरकार
Government of India

प्यार सिंह
PYAR SINGH
जन्म तिथि/DOB: 23/05/1984
पुरुष/MALE

आधार का प्रमाण यह है, नागरिकता या अन्यता का नहीं।
इसका उपयोग केवल (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या खुद को सत्यापित करने के लिए) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML)

6638 2217 3885
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

पता:
श्री. जगदीश, खंडी मय काफली, जख्म, देहरी
गढ़वाल,
उत्तराखण्ड - 249123

Address:
JAGDISH, Khandi Maya Kafali, PO:
Jakhm, DIST: Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

6638 2217 3885
VID : 9128 7718 7770 4847

बबली



कार्यालय: उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
फोन नं० - 01378-227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पत्राक संख्या 720/उरेडा/मु.मं. सौर स्वयो/ 2023-24 दिनांक 14 मार्च, 2024

परियोजना आवंटन पत्र

सेवा में,

श्रीमती बबली
झबरीन पोमगलोर टाउन
हरिद्वार

विषय:- "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि०वा० क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तों के अनुसार परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तों के आधार पर आवंटित किया जाता है।

क्रम सं०	मद	विवरण
01.	पंजीकरण संख्या-	2642
02.	संयंत्र की क्षमता	200 कि०वा०
02.	निर्धारित विद्युत विक्रय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में रु० 4.64 प्रति यूनिट)
03.	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमत्त नहीं है)	काण्डी, विकास खण्ड-जाखणीघार टिहरी गढ़वाल।
04.	संयंत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05.	संयंत्र से उत्पादित विद्युत के कय की अवधि	संयंत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षों तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/1-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/1-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/1-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या- 1058/1-1/2023-03/02/2020(F-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटनी भलीभँति भिन्न है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटनी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि०वा० हेतु रु० 25,000/-, 100 कि०वा० हेतु रु० 50,000/- एवं 200 कि०वा० हेतु रु० 1,00,000/-) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप में जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमीशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जप्त कर ली जाएगी।

(Handwritten signatures and stamps)
विकास
12/11/24
मीरु दास

- 03 कृपया इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय में सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) हस्ताक्षरित करें।
- 04 पावर परचेज एग्रीमेंट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्ध फर्म को जारी कार्यादेश/ कार्यादेश से सम्बन्धित अगिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये।
- 05 सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होंगे।
- 06 मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्तें/मानक निर्धारित हैं, जो कि निम्नवत हैं:-

- (a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
- (b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
- (c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
- (d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated within Three months from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

- 07 आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।
- 08 सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा10 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।
- 09 संयंत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयंत्र का बीमा अपने खर्च पर स्वयं कराया जाना होगा।
- 10 आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।
- 11 इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो सयंत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिंग्यूरिटी (CPG) जमा कर ली जायेगी।
- 12 परियोजना की कमीशनिंग (सी0ओ0डी0) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नहीं होगा।

निकर
प्राप्त
3.11.2020

13. स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवटी को सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने में सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्तर पर आवटी एवं फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबन्ध/करार, कार्यादेश, भुगतान, वाद-विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।

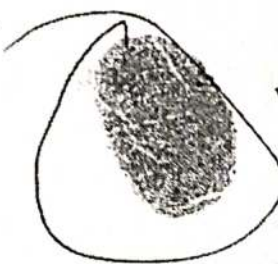
14. स्पष्ट करना है कि आवटित सोलर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एवं लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त <https://investuttarakhand.uk.gov.in> पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में MSME Policy-2023 में निहित प्रोत्साहन एवं लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन कराते हुये "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट संयंत्र स्थापित कराने का कष्ट करे।

वकील


विकास

परियोजना अधिकारी
उरेडा-टिहरी



लक्ष्मी
अ. वि.

जी. री. सी. टी. टी.



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

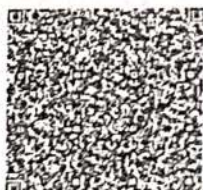
सत्यमेव जयते

e-Stamp

₹8,300

Certificate No. : IN-UK12111001741798W
 Certificate Issued Date : 19-Mar-2024 11:08 AM
 Account Reference : NONAGC (SV) uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122960430934083056298W
 Purchased by : SMT BABLI
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : VILL-KHANDI PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : BEERBAL SINGH KIDI DEVI GULAB SINGH AND OTHERS
 Second Party : SMT BABLI
 Stamp Duty Paid By : SMT BABLI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 8,300
 (Eight Thousand Three Hundred only)

सत्यमेव जयते



दुर्गा प्रसाद उनियाल
 स्वामी विक्रेता
 कोर्ट कम्पाउण्ड नई दिल्ली

Please write or type below this line



बबली

र. वि. गोस्वामी सी. डी. रणधीर

RD

0014083806

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.stampsaving.com or using a Stamp Mobile App at State House.
2. Any discrepancy in the details of this Certificate and its availability on the website/mobile app renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of this certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पट्टा विलेख Lease Deed

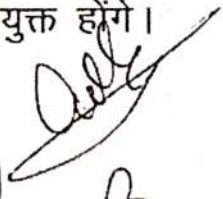
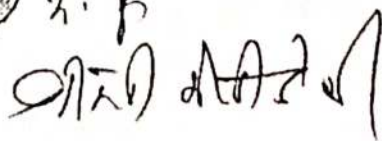
यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) मार्च 2023 माह के 19 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

बीरबल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द (Adhar no. 588359915105) (Mob-9627522490), श्रीमती कीड़ी देवी पत्नी श्री हरिराम पुत्री श्री इन्द्रमणी (Adhar no.993027704166)

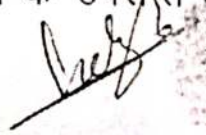
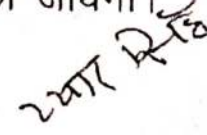
गुलाब सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह, (Adhar no.493532279535 (Mob.9719123545) प्यार सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह, (Adhar no.663822173885 (Mob.6399529239) विकास स्वरूप पुत्र श्री माधवानन्द, (Adhar no.552609349306) (Mob.9084424742) सभी निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

एवं

श्रीमती बबली पत्नी श्री कुशलजीत, निवासी-ग्राम-झाबिरन, पो0-मंगलोर, तोवन, हरिद्वार उत्तराखण्ड (Adhar No-906149734486) (Mob-8650144618)-जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

बबली  
2. F
श्रीमती बबली 
विकास 
प्यार सिंह

1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 के खतौनी खाता संख्या 00030 फसली वर्ष 1428-1433 में दर्ज खेत संख्या 365 रक्वा 0.025 हे०, खेत सं०-367 रक्वा 0.026 हे०, खेत सं०-245 रक्वा 0.0324 कुल खेत 3 कुल रक्वा 0.0834 हे० याने 834 वर्ग मीटर भूमि स्वामी बीरबल सिंह, खाता सं०-00006 में दर्ज खेत सं०-247 रक्वा 0.028 याने 280 वर्ग मीटर भूमि स्वामी श्रीमती कीडी देवी, खतौनी खाता सं०-00001 में दर्ज खेत सं०-243 रक्वा 0.056 याने 560 वर्ग मीटर भूमि स्वामी गुलाब सिंह, खाता सं०-00023 में दर्ज खेत सं०-242 रक्वा 0.044 हे०, खेत सं०-268 रक्वा 0.0236 कुल रक्वा 0.0676 याने 676 वर्ग मीटर भूमि स्वामी प्यार सिंह व खाता सं०-00012 में दर्ज खेत सं०-244 रक्वा 0.065 हे० याने 650 वर्ग मीटर भूमि स्वामी विकास स्वरूप पांचो खातों का कुल रक्वा 0.300 हे० याने 3000 वर्ग मीटर पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तों व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (URED A) के द्वारा 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्गत परियोजना आवंटन पत्र सं०-720/उरेडा मु०मं० सौर स्व०यो/2023-24 दिनांक 14.03.2024 के क्रम में 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है।
2. यह कि पट्टा दिनांक 19.03.2024 से प्रारम्भ होकर 18.03.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु० 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात् अर्थात् 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।

वेबली     

3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 6,30,000 रु०, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 6,93,000 रु० तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 5,33,610 रु० याने कुल 27 वर्ष का किराया मु० 18,56,610 रु० तथा औसत वार्षिक किराया 68,763.33 रु० होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 5,730.27 रु० होता है तथा मार्च 2023 का किराया अदा किया जा चुका है। एवं प्रत्येक अप्रैल माह में किराया अदा करना होगा।
4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय-समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा-150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

बल्लू



विकास
पर सिंह

11. यह कि पट्टादाता के द्वारा श्रीमती बबली देवी, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रके विरुद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumbrance) पट्टादाता के द्वारा नहीं लिया जायेगा।

नया जायेगा।

बबली

विक्रम

रसार सिंह

30/11/2020

12. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती बबली देवी पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा श्रीमती बबली देवी को 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं श्रीमती बबली देवी की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।
13. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती बबली देवी, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 19.03.2024 से प्रारम्भ होकर 18.03.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैध होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।
14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा श्रीमती बबली देवी पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।
15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।
16. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती बबली देवी पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई हैं:-
पूर्व:- कुम्हारधार सरहद।
पश्चिम:- विक्रम सिंह की भूमि।
उत्तर:- रास्ता।
दक्षिण:- जगदम्बा प्रसाद की भूमि।

बबली देवी
[Signature]
[Stamp]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (बीरबल सिंह) की उंगलियों की छाप-

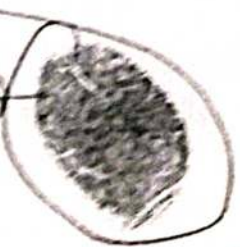
दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (श्रीमती कीर्ती देवी) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (गुलाब सिंह) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

बल ली  मेकास
3.11. धार सिंह 
श्रीमती सीती देवी

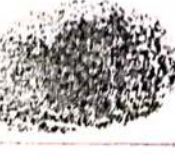
प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (प्यार सिंह) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
वायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (विकास स्वरूप) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
वायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
वायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

बनली  3. 11. विकास/प्यार सिंह

गीरजी अजमेर

अतः आज दिनांक 19.03.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।

लाली

ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता

ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार

गवाह

विकास
पट्टा सिंह

देवेन्द्र दुमोगा

रचियता

देवेन्द्र दुमोगा

देवेन्द्र सिंह पुत्र

एडवोकेट

एडवोकेट
चेम्बर नं०-05, मो. -9412878878
कोर्ट कम्प्लेक्स बड़ टिहरी
पंजी-UK-2234/04, UP-1140/X

विकास सिंह

1. बिकम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

आधार नं०-460529151389

Mob.9897501756

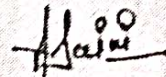
2. सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी-85, निजमपुर, हरिद्वार उत्तराखण्ड।

आधार नं०- 278921295430

Mob. 9675988009

बही संख्या 1 जिल्द 57 के पृष्ठ 29 से 58 पर क्रमांक 185 पर आज दिनांक

19 Mar 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।



रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीघार
19 Mar 2024

